"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2008—वैशाख 12, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री एन बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985), सचिव सह आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, जनसम्पर्क एवं वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

श्री एन. बैजेन्द्र कुमार द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से. (1977), अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

2. श्री पी. रमेश कुमार, भा. प्र. से. (डब्ल्यू. बी. 1986), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त सह सचिव, उच्च शिक्षा एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

श्री पी. रमेश कुमार द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1988), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से. (1988), श्रमायुक्त एवं पदेन सचिव, श्रम विभाग तथा प्रबंध संचालक, सी. आई. डी. सी. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

उक्त पद पर श्री बी. एल. अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत आयुक्त, रायपुर संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री के. डी. पी. राव, भा. प्र. से. (1988), आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रमायुक्त एवं पदेन सचिव, श्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

5. श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990), सचिव, गृह विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग पदस्थ किया जाता है.

6. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से. (1991) सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा सचिव, संस्कृति तथा पर्यटन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना पदस्थ किया जाता है.

उक्त पद पर श्रीमती रेणु जी. पिल्ले द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991), सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम पदस्थ किया जाता है.

8. श्री दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से. (1991), क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सरगुजा (अंबिकापुर) एवं सदस्य, राजस्व मंडल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त पदस्थ किया जाता है.

9. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991), क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर (जगदलपुर) एवं सदस्य, राजस्व मंडल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.

10. श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992), आयुक्त सह संचालक, महिला एवं बाल विकास की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं. साथ ही प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

11. श्री के. श्रीनिवासुलु, (एस. के.-1994), विशेष सचिव, वित्त एवं योजना विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, भू-अभिलेख एवं संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री पदस्थ किया जाता है.

12. श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्या. की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं पदस्थ किया जाता है.

13. श्री सोनमणि बोरा, भा. प्र. से. (1999), कलेक्टर, कबीरधाम (कवर्धा) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर पदस्थ किया जाता है

14. श्री एम. एस. परस्ते, भा. प्र. से. (2000), कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर पदस्थ किया जाता है.

15. श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से. (2000), संचालक, भू-अभिलेख, संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर नारायणपुर पदस्थ किया जाता है.

16. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), मुख्य सचिव के उप सचिव तथा उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (भा. प्र. से. स्थापना) को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

17. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा. प्र. से. (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कबीरधाम (कवर्धा) पदस्थ किया जाता है.

18. सुश्री संगीता पी., भा. प्र. से. (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

19. श्री ओम प्रकाश चौधरी, भा. प्र. से. (2005), अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा, जिला दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा पदस्थ किया जाता है.

20. श्री अनूप श्रीवास्तव, विशेष सचिव, राजस्व विभाग की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

21. श्री बी. के. अग्रवाल, अपर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अपर सचिव, राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

22. श्री पी. सी. मिश्रा, आयुक्त रोजगार गारंटी योजना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-1-4/2008/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	डॉ. बी. एस. अनन्त, (1993)	संचालक, खाद्य एवं पदेन विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नियंत्रक, नापतौल.	आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नियंत्रक, नापतौल.
2.	श्री मनोहर पाण्डे, (1993)	विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सचिव, गृह विभाग
3.	श्री शिव कुमार तिवारी, (1993)	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
4.	श्रीमती निधि छिब्बर, (1994)	संचालक, लोक शिक्षण एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग.	आयुक्त, लोक शिक्षण एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री विकास शील, (1994)	कलेक्टर, रायपुर	सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त
6.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ, (1994)	संचालक, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम.	आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर
7.	श्री गणेश शंकर मिश्रा, (1994)	कलेक्टर, बस्तर	आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर

2. श्री अमित अग्रवाल, भा. प्र. से. (1993) जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है को छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अधिकारी डॉ. बी. एस. अनन्त, के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के दिनांक से, अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

3. श्रीमती ऋचा शर्मा, भा. प्र. से. (1994) जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है को छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती निधि छिब्बर, के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के दिनांक से, अधिसमय वेतनमान (रुपये 18400-500-22400) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

4. श्री बी. एस. अनन्त, श्री शिव कुमार तिवारी, श्रीमती निधि छिब्बर, श्री मनोज कुमार पिंगुआ एवं श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 (1) के तहत आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, आयुक्त बिलासपुर संभाग, आयुक्त, लोक शिक्षण, आयुक्त, सरगुजा संभाग एवं आयुक्त, बस्तर संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक/1655/डी-15/45/2006-07/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अंतर्गत (मंडी समिति का निर्वाचन), नियम 1997 के नियम 26 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, कृषि उपज मण्डी समिति बरमकेला, जिला रायगढ़ के क्षेत्र क्रमांक-61/6 बड़े नवापारा के महिला कृषक सदस्य, निर्वाचन के लिये, उप चुनाव हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है :—

(अ)

(क)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी करने तथा प्रारंभ होने का दिनांक.	21-04-2008	सोमवार
(ख)	मतदान केन्द्र की स्थापना तथा उसका प्रचार-प्रसार	26-04-2008	शनिवार
(ग)	नाम निर्देशन करने का अंतिम दिनांक	02-05-2008	शुक्रवार
(घ)	नाम निर्देशन संवीक्षा का दिनांक	05-05-2008	सोमवार
(ङ)	नाम निर्देशन की वापसी का दिनांक	07-05-2008	बुधवार
(च)	वह दिनांक जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	26-05-2008	सोमवार

(छ)	मतगणना के लिए दिनांक	28-05-2008	बुधवार
(ज)	सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा	28-05-2008	बुधवार

(आ) 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक 208/तक. विधान/टीसी/08.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988), (जो इसमें इसके पश्चात् मोटरयान अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन स्वीकृत पर्यटक परमिट के अन्तर्गत आने वाले तथा के अधीन संचालित, लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता छः से कम तथा पैंतीस से अधिक न हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर के भुगतान से तत्काल प्रभाव से दिनांक 31-03-2016 तक नीचे दिये गए अनुसूची में कॉलम नं. (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	मोटरयान का वर्ग (2)	कर में छूट की सीमा (3)
1.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रदत्त किए गए पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटक वाहन—	
	(क) छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटक मण्डल के स्वामित्व अथवा ऐसे उपयोग के लिए इसके द्वारा पैकेज टूर हेतु अनुबंधित पर्यटक वाहन—	दर का 50 प्रतिशत
	(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लेखित से भिन्न पर्यटक वाहन—	दर का 25 प्रतिशत
2.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटक वाहन तथा जो निम्नानुसार कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जा रहे हैं :—	
	(क) तीन दिवस तक अस्थायी उपयोग	
	(एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र—	दर का 75 प्रतिशत
	(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र—	दर का 50 प्रतिशत
	(ख) छः दिवस तक अस्थायी उपयोग—	
	(एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र—	दर का 75 प्रतिशत
	(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र—	दर का 50 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
(ग)	छ: दिवस से अधिक अस्थायी उपयोग—	
	(एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र—	दर का 75 प्रतिशत
	(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र—	दर का 50 प्रतिशत

टीप :— अभिव्यक्ति **"अति पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्व विभाग द्वारा ऐसे मान्यता प्राप्त क्षेत्र.

शर्तें :—

(1) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का धारक इस अधिसूचना के अधीन लाभ तब प्राप्त करेगा, जब इसका पंजीयन राज्य गृह के पर्यटन विभाग से कराया हो.

(2) टूरिस्ट आपरेटर द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 14 के अंतर्गत कर मुक्ति हेतु तभी मांग की जायेगी, जब उसने ऊपर दी गई टीप में उल्लेखित क्षेत्र में टूरिस्ट वाहन के संचालन दिवसों का प्रमाण-पत्र पर्यटन विभाग से प्राप्त कर, कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया हो.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

No. 208/Tak. Vidhan/TC/08.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) the State Government hereby exempts part from payment of tax leviable under section 3 of the said act, to all public service vehicles having seating capacity not less than six and not more than thirty five seats, subject to following conditions with immediate effect upto 31-03-2016 covered by and operating under tourist permit granted under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) (hereinafter referred as Motor Vehicle Act) as specified in column Number (1) and (2) in the schedule below :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of Motor Vehicle (2)	Extent of Tax Exemption (3)
1.	Tourist Vehicle covered with tourist permit issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act granted in the State of Chhattisgarh to :—	
	(a) tourist vehicle owned by Chhattisgarh State Tourism Board or contracted for packged tour by it for use as such.	50 percent of the rate
	(b) tourist vehicle other than mentioned in (a) above.	25 percent of the rate
2.	Tourist Vehicle covered with tourist permit issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act granted by other state and plying in Chhattisgarh State on temporary basis for the period as under :—	
	(a) temporary use upto three days —	
	(i) in the most backward and scheduled tribe dominated area.	75 percent of the rate
	(ii) general area other than area mentioned in (i) above	50 percent of the rate

(1)	(2)	(3)
(b)	temporary use upto six days —	
	(i) in the most backward and scheduled tribe dominated area.	75 percent of the rate
	(ii) general area other than area mentioned in (i) above	50 percent of the rate
(c)	temporary use more than six days —	
	(i) in the most backward and scheduled tribe dominated area.	75 percent of the rate
	(ii) general area other than area mentioned in (i) above	50 percent of the rate

Note :— The expression "most backward and scheduled tribe dominated area" means the area recognized as such by Chhattisgarh State Revenue Department under C. G. Land Revenue Code 1959.

Conditions :—

(1) The holder of All India Tourist Permit shall avail benefit under this Notification only when it in registered with the Tourism Department of Home State.

(2) Refund of tax shall be claimed by the Tourist Operator under section 14 of the Act, on submission of a certificate regarding days of operation of Tourist Vehicle in the area specified in note aforesaid from the Chhattisgarh State Tourism Department to the tax officer.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक 209/तक. विधान/टीसी/08.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के मद-चार के उप मद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र हेतु नगर मार्गों के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्थानों को अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान/क्षेत्र (3)
1.	बिलासपुर	1. बिलासपुर से सीपत (एन. टी. पी. सी.)
		2. बिलासपुर से सिरगिट्टी
		3. बिलासपुर से मस्तूरी
		4. बिलासपुर से ताला

No. 209/Tak. Vidhan/TC/08.—In exercise of the powers conferred by sub-item (c) of item-iv of first schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby notified the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes :—

TABLE

S. No. (1)	City/Town (2)	Adjacent places/Areas (3)
1.	Bilaspur	1. Bilaspur to Sipat (N. T. P. C.) 2. Bilaspur to Sirgitti 3. Bilaspur to Masturi 4. Bilaspur to Tala

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सिवनी	2.235	कार्यपालन अभियन्ता, (निर्माण), द. पू. म. रेल्वे, बिलासपुर.	प्रस्तावित चांपा बाईपास रेल्वे लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सन्तुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मानिकपुर	3.573	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ. ग.)	मानिकपुर जलाशय की बंड शीट (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	चैतमा	3.64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ. ग.)	चैतमा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मानिकपुर	11.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ. ग.)	मानिकपुर जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	माखनपुर	3.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा (छ. ग.)	धौराभाठा जलाशय योजना बंड शीट, लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला.	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	गुडरूमुड़ा	5.123	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोरबा (छ. ग.)	रामपुर जलाशय योजना में डूबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	तानाखार	33.389	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोरबा (छ. ग.)	रामपुर जलाशय योजना में डूबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 3872/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	जोम प. ह. नं. 15	3.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 3873/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	सण्डी प. ह. नं. 16	0.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत उलट हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 3874/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	तेंदूभाठा प. ह. नं. 15	5.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 3875/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	उदान प. ह. नं. 15	1.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 3876/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	कुकुरमुड़ा प. ह. नं. 19	17.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 अप्रैल 2008

क्रमांक/627/प्र-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-भोथली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
444	0.02
445	0.06
442	0.06
446	0.02
452	0.02
449	0.02
448	0.03
458	0.08
459	0.05
451	0.01
447	0.05
456	0.03
454	0.01
460	0.02
457	0.07
477	0.02

(1)	(2)
480	0.01
योग	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ओरमा-भोथली-सुन्दरा मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अप्रैल 2008

क्रमांक/3627/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में, वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-49.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
20/1	0.093
20/2	0.081
40/2	0.575
38/1	1.756
39/1	1.416
40/6	0.065
40/4	0.218
136/2	0.161
42	0.405
135	0.506
134	0.364
50	0.729
55/1	0.117
125/1	0.156
59/1	0.295
145/6	0.450
60	0.701
23/1	0.125
21/1	1.085
40/7	0.946
29/2	0.429
39/2	1.214
40/8	0.251
46	0.081
40/9	0.999
43/2	0.202
133	0.162
48/2	0.380
52	0.486
55/2	0.510
145/3	1.586
56/2	0.121
137/1	0.443
131/1	2.439
31	0.138
22	2.148
37/1	0.660
38/3	0.446
40/1	0.126
40/3	0.093
131/6	0.587
41	1.315
43/1	0.668
44	0.696
57/1	0.272
48/1	0.369
54	0.368
53	0.802
136/3	0.182
58/1	0.073
131/3	0.453

(1)	(2)
32/2	0.113
35	0.809
37/2	0.295
64/1	0.023
40/5	0.073
32/1	0.405
57/2	1.124
245/1	1.131
56/1	1.170
45	1.951
136/1	0.349
51	0.384
62/1	0.021
69/1	0.181
145/4	0.829
59/2	0.118
40/10	0.162
40/11	0.089
131/5	0.454
63	0.109
131/14	1.214
247/3	0.024
30	0.223
71/4	0.008
29/3	0.097
131/18	0.405
131/8	0.323
127/1	0.340
131/12	0.243
34/2	0.809
34/1	0.405
252	0.081
29/4	0.278
131/19	0.405
131/11	0.324
129	0.866
131/13	0.243
128/1	0.692
33	0.267
131/7	0.809
29/1	0.187
131/9	0.466
61	0.741
130	1.125
247/1	0.016
36	0.482
246	0.075
38/2	0.283
64/3	0.075
योग	49.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला परियोजना के डूबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अप्रैल 2008

क्रमांक/3628/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणगढ़, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-98.043 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
561/2	0.243
470	0.142
567	0.032
422	0.182
451	0.365
564/2	0.093
502	0.073
499/2	0.081
509	0.189

(1)	(2)	(1)	(2)
501/1	0.218	564/1	0.283
500/1	0.259	481	1.019
468	0.049	391/3	0.061
480/1	0.292	483	0.170
463	0.397	453	0.125
493	0.061	455/5	0.409
488/2	0.202	466	0.073
499/3	0.288	495	0.081
583	0.133	491	0.081
559	0.227	472	0.271
436	0.405	488/1	0.121
423	0.227	498	0.227
414/1	0.168	485	0.150
508/2	0.081	480/2	0.323
563/1	0.167	421/1	0.097
508/7	0.085	479/2	0.145
510/2	0.028	477/3	0.405
501/2	0.057	383/1	0.056
467	0.146	687	0.486
473	0.081	356/2	0.085
480/5	0.231	571/1	0.036
465	0.020	455/3	0.393
494	0.061	429/1	0.162
489	0.097	430/4	0.450
487	0.817	418	0.405
390	1.497	416	0.279
561/1	0.065	425/1	1.174
566	0.028	396/1	0.073
482/1	0.365	324	0.186
503/2	0.401	344	1.214
380	0.591	346	0.081
377/3	0.039	352/1	0.061
445/3	0.101	350/2	0.121
677	0.074	358/2	0.224
500/2	0.202	358/8	0.174
460	0.158	359/1	0.385
476	0.356	365	0.304
497	0.340	391/2	0.117
492	0.081	376/5	0.809
490	0.150	373/2	0.343
479/1	0.543	378/1	0.405
484	0.158	382	0.170
426	3.205	387/6	0.202
563/2	0.157	387/4	0.405
435	0.607	376/4	0.809
565	0.020	323/1	0.769

(1)	(2)	(1)	(2)
313/1	0.503	458/3	0.089
560/1	0.089	459/2	0.162
427/7	0.190	689/1	0.164
427/9	0.567	686	0.802
427/8	0.178	459/1	0.308
477/1	0.405	571/2	0.025
370/1	0.405	427/12	0.271
458/2	0.121	469	0.910
457	0.178	430/1	0.153
474	0.182	454/1	0.222
688/1	0.163	452	0.345
685	0.283	387/7	0.223
464/1	0.454	398	0.283
419	0.146	396/3	0.073
447/1	0.385	322	0.081
429/2	0.077	345/1	0.466
421/2	0.097	680/1	0.265
678/1	0.212	349	0.624
432/4	0.198	348/2	0.268
400	0.725	358/4	0.649
396/2	0.073	389	0.886
343/1	0.397	357/1	0.323
345/3	0.352	364/4	0.809
351/1	0.182	393/2	0.117
352/2	0.265	480/4	0.324
348/1	0.267	374	0.708
358/5	0.109	378/2	0.202
358/3	0.243	383/3	0.069
359/3	0.769	385	0.910
366	0.283	386	0.162
393/1	0.121	373/1	0.142
369	0.243	315	0.202
375/2	1.316	319/1	0.769
379	0.332	303/2	0.809
383/2	0.065	427/1	0.789
384	0.202	427/2	0.182
387/5	0.077	355/1	0.121
376/2	0.809	377/4	0.093
317/1	0.186	480/3	0.393
310	0.364	475	0.081
496/1	0.113	478	0.854
427/11	0.218	471	1.153
427/6	0.162	688/2	0.146
427/10	0.247	462	0.036
486	0.020	464/3	0.231
568	0.668	458/1	0.316

(1)	(2)
428	0.142
430/2	0.550
420	0.206
417/2	0.210
387/8	0.145
399	0.547
319/5	1.165
343/2	0.210
345/2	0.169
351/2	0.182
350/1	0.121
348/3	0.267
358/6	0.311
359/2	0.385
364/2	2.023
391/1	0.239
392	0.243
370/2	0.162
377/1	0.364
381	0.202
387/3	0.065
387/2	0.081
376/3	0.809
376/1	0.666
317/3	0.243
304	0.632
427/3	0.567
427/4	0.117
427/5	0.065
477/2	0.918
391/4	0.061
397	0.040
573/7	0.097
376/6	0.809
448/1	0.291
456	0.625
679/1	0.506
682	0.227
455/1	0.053
445/2	0.197
448/3	0.158
449	0.320
431/1	0.193
432/3	0.210
433/2	0.129
402	0.841
[illegible]	0.242

(1)	(2)
325/3	0.401
317/2	0.304
560/2	0.089
562/4	0.045
574/3	0.069
508/1	0.129
690/3	0.028
424	0.388
499/1	0.101
461	0.121
377/2	0.182
314/1	0.381
417/1	0.405
684/1	0.494
681/1	0.227
455/2	0.308
573/1	0.050
448/2	0.109
450	0.263
431/2	0.202
430/5	0.153
434	0.486
340	0.081
355/3	0.101
319/2	0.679
314/2	0.275
496/2	0.113
430/3	0.603
387/1	0.454
388/1	0.485
496/3	0.114
364/1	0.286
445/1	0.121
477/4	0.421
316	0.466
511/1	0.012
364/3	0.809
684/2	0.162
681/2	0.061
446	0.263
503/3	0.045
448/4	0.182
345/4	0.170
431/3	0.186
432/2	0.139
437/1	0.243
341	0.4[illegible]

(1)	(2)
325/1	0.401
311	0.829
314/4	0.849
565/1	0.040
568/3	0.105
510/3	0.085
388/2	0.324
560/3	0.089
508/8	0.012
358/7	0.440
319/4	1.214
314/3	0.129
401	0.785
683	0.142
646	0.405
455/4	0.181
573/4	0.050
448/5	0.085
454/2	0.202
432/1	0.008
433/1	0.162
415	0.102
342	1.200
325/2	0.004
313/2	0.210
314/5	0.109
562/3	0.085
574/2	0.049
512/1	0.079
503/1	0.125
511/2	0.072
योग	98.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला परियोजना के डूबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अप्रैल 2008

क्रमांक/3629/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-छिरपानी, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
137/4	0.16
137/5	0.26
137/6	0.38
योग	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिरपानी-मुरमुन्दा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक/क/ख. लि/खुला घो./2008.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायानुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (तीस) दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बरभाठा	07	राजिम	5/1	1.74 ए.	श्री फगेन्द्र यदू आ. श्री दौलत राम यदू, निवासी बरभाठा, तहसील राजिम, जिला रायपुर के नाम पर ग्राम बरभाठा, प. ह. नं. 07, तहसील राजिम, जिला रायपुर स्थित भूमि 5/1 रकबा 1.74 एकड़ क्षेत्र जो शासकीय भूमि है पर दिनांक 9-3-2003 से 8-3-2008 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था. अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

1-तिलक नगर, शिव मंदिर चौक, मेन रोड, अवन्ति विहार, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्र. 1504/तक./छ. प. सं. मं./2008.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन किया गया है.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन निम्न हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है :—

1. किसी उद्योग, संक्रिया, प्रक्रिया अथवा किसी शोधन तथा व्ययन पद्धति, अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने आदि गतिविधियों के लिए जिनसे सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण की संभावना हो; की स्थापना करने या उसकी स्थापना हेतु उपाय करने के लिये; अथवा

2. सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण हेतु किसी नये अथवा परिवर्तित निकास को उपयोग में लाने के लिये; अथवा

3. किसी नये सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण प्रारंभ करने के लिये.

4. सीवेज तथा औद्योगिक निस्त्राव का निस्सारण जारी रखने हेतु.

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन औद्योगिक संयंत्र में उत्सर्जन के निकास/उत्सर्जन के नये निकास बनाना प्रारम्भ करने, उत्सर्जन का निकास चालू रखने के लिये किसी नवीन/परिवर्तित चिमनी का उपयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से वायु सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के नियम 4 तथा 6 के प्रावधानों के अनुसार किसी स्थानीय संस्था अथवा व्यवस्था के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा (जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी शामिल है) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार प्रथम बार सम्मति 12 मास के लिए जारी की जाती है, तदुपरांत सम्मति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाना होता है. इसी प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम बार प्राधिकार 12 मास के लिए जारी की जाती है, तदुपरांत प्राधिकार का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाना होता है. प्रतिवर्ष नवीनीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत तथा उद्योगों/संस्थाओं को सुविधा के दृष्टिकोण से सम्मति/प्राधिकार के प्रतिवर्ष के नवीनीकरण के स्थान पर अधिक समय के लिए नवीनीकरण किये जाने की मांग होती रही है.

उपरोक्त को ध्यान में रखकर विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 (4) (a) (iii) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1860/मु. अ./छ. ग. प. सं. मं./2002, रायपुर, दिनांक 06-06-02 में संशोधन कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले सम्मति एवं आगामी अवधि के इसके नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति एवं नवीनीकरण :—

(अ) वृहद/मध्यम/लघु श्रेणी उद्योगों/संस्थाओं बाबत :—

क्रमांक	उद्योग/संस्था के प्रदूषणजनक गतिविधियों का प्रकार	सम्मति/सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	लाल	3 वर्ष
2.	नारंगी	5 वर्ष
3.	हरी	10 वर्ष

(ब) स्थानीय संस्थाओं बाबत :—

क्रमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी	सम्मति/सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	नगर पालिक निगम	3 वर्ष
2.	नगर पालिका	5 वर्ष
3.	नगर पंचायत	10 वर्ष

इसी प्रकार विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के नियम 6 (3) एवं (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका दिनांक 24-08-01 के परिप्रेक्ष्य में किसी

स्थानीय संस्था अथवा व्यवस्था के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा (जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी शामिल है) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले प्राधिकार एवं आगामी अवधि के इसके नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :—

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के अंतर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण :—

क्रमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी/स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले व्यवस्था के संचालक	प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	नगर निगम	3 वर्ष
2.	नगर पालिका	5 वर्ष
3.	नगर पंचायत	10 वर्ष

सम्मति/प्राधिकार तथा सम्मति/प्राधिकार के आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर आवश्यक शर्तों के साथ किये जा सकेंगे. इस संबंध में अधिकतम समयसीमा के निर्धारण का अंतिम अधिकार राज्य बोर्ड/अध्यक्ष, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल/प्राधिकृत अधिकारी, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का होगा.

एक से अधिक वर्षों के सम्मति/प्राधिकार तथा सम्मति/प्राधिकार के नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही के लिए आवश्यक शर्तें (जहां जैसा लागू हो) निम्नानुसार होगी :—

1. छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 883/1018/आपर्या/2003, रायपुर, दिनांक 31 मई 2003 के अनुसार सम्मति/सम्मति नवीनीकरण हेतु अधिकतम आवेदित अवधि के लिए निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. सम्मति/सम्मति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सम्मति/सम्मति नवीनीकरण जारी किये जाने से पूर्व यदि सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क में वृद्धि होने पर संशोधित दर से अंतर का सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क संदाय किया जावेगा.

2. सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की अवधि में केपीटल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने पर निर्धारित फीस के अंतर का सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क संदाय किया जावेगा.

3. सम्मति/सम्मति नवीनीकरण अवधि में उत्पाद, उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल, दूषित जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं गुणवत्ता, वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा, ईंधन की मात्रा एवं प्रकार, संक्रिया, प्रक्रिया, शोधन प्रक्रिया आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा.

4. जिन गतिविधियों हेतु सम्मति/प्राधिकार जारी की गई है उसके अतिरिक्त गतिविधियां, अर्थात् :—

- किसी संक्रिया, प्रक्रिया, अथवा किसी शोधन तथा व्ययन पद्धति, अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने आदि गतिविधियों के लिए (जिनसे सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण की संभावना हो) की अतिरिक्त स्थापना करने या उसकी स्थापना हेतु उपाय करने के लिये; अथवा

- सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण हेतु किसी नये अथवा परिवर्तित निकास को उपयोग में लाने के लिये ; अथवा

- किसी नये सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण प्रारंभ करने के लिये; अथवा/और

- औद्योगिक संयंत्र में उत्सर्जन के निकास/उत्सर्जन के नये निकास बनाना प्रारम्भ करने, उत्सर्जन का निकास चालू रखने के लिए किसी नवीन/परिवर्तित चिमनी का उपयोग करने के लिये ; अथवा/और

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की संक्रिया/प्रक्रिया आदि अथवा किसी शोधन तथा निपटान सुविधा (भूमि भरण शामिल) की संक्रिया/प्रक्रिया आदि में कोई परिवर्तन करने अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने की दशा में ;

नई सम्मति/प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस हेतु निर्धारित सम्मति शुल्क सहित निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया जाना होगा.

पर्यावरण की दृष्टि से व विशेष परिस्थिति में किसी उद्योग की श्रेणी में परिवर्तन अथवा सम्मति/प्राधिकार के संशोधन या इस आदेश में आवश्यक समझे जाने पर संशोधन के अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास सुरक्षित रहेगा.

के. सुब्रमणियम,
सदस्य सचिव.